

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो0-मुर्घवा (रिनुकूट) सोनभद्र-उ0प्र0

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं0-(05446) 255777

पत्रांक.....


दिनांक.....

Criterion II – Teaching-Learning and Evaluation

2.4.1: Percentage of full-time teachers against sanctioned posts during the last five years.

Link of relevant document

- Sanctioned letters indicating number of post (including management sectioned posts) by competent authority.
- Sanctioned Letters with Translation
- List of Full Time Teachers Appointed along with their departmental affiliation (2021-22 to 2017-18)
- Appointment Letters
- Aadhar & PAN Details


प्रबन्धक

बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्घवा(रिनुकूट) सोनभद्र



प्राचार्य
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्घवा (रिनुकूट)
सोनभद्र-उ0प्र0



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/10880 /05-227-प्र.अनु-2016/2016,
सेवा में,

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2016

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर (मुर्धवा) रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कला संकाय में भूगोल, स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान तथा शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम तथा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शारीरिक शिक्षा में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 15.06.2016 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के संदर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2007-2(85)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अम्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अम्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
1.	कु0 माधुरी	श्री कन्हैया लाल	23.06.1987	नेट 2011, नेट 2012	प्रवक्ता भूगोल
2.	श्री राकेश कुमार यादव	श्री राम सुन्दर यादव	01.11.1977	नेट	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा
3.	श्री सजय कुमार	श्री लाल चन्द्र राम	17.09.1985	नेट 2013	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा
4.	कु0 दिव्यानी राय	श्री रमेश चन्द्र राय	03.05.1990	एम0एफ0ए0	प्रवक्ता बी0एड0 चित्रकला
5.	कु0 निशा	श्री राम प्रकाश	01.01.1990	नेट	प्रवक्ता बी0एड0 विज्ञान वर्ग
6.	कु0 पूनम वर्मा	श्री रामचन्द्र	18.09.1988	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
7.	कु0 रश्मि राठौर	श्री रामबली राठौर	02.06.1990	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
8.	डॉ0 रीता यादव	श्री दीर बहादुर सिंह यादव	21.01.1982	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
9.	डॉ0 सुमन प्रकाश	श्री आर0पी0 सिंह	10.01.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान
10.	डॉ0 साहब लाल यादव	श्री बसन्त लाल यादव	16.07.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान
11.	श्री नकुल पराशर	श्री रघुनन्दन	21.10.1987	नेट	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान
12.	डॉ0 अवनीश मिश्र	श्री एस0एन0 मिश्र	11.03.1985	पी0एच0डी0	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान
13.	डॉ0 प्रवीन कुमार	श्री रोहिताश शर्मा	06.03.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
14.	डॉ0 जीतन्द्र कुमार चौरसिया	श्री शिवशकर चौरसिया	07.02.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
15.	डॉ0 प्रभात कुमार सिंह	श्री लाल बहादुर सिंह	29.03.1981	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गणित
16.	डॉ0 विनोद कुमार चौबे	श्री राजेश्वर चौबे	01.07.1973	पी0एच0डी0	प्रवक्ता हिन्दी (P.G.)
17.	डॉ0 सजय कुमार	स्व0 सरजू यादव	26.07.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)
18.	कु0 जाली अम्बष्ठा	श्री जयनरायन लाल	07.10.1977	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अम्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अम्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों का दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. नाननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गा0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0310/5536/05-10-प्र.अनु.-2015/2015,

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

प्राचार्य,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनूकुट),
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 29.09.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्नातकोत्तर विषय	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ० चंचला पाण्डेय	श्री सुग्रीव पाण्डेय	16.05.1983	एम0काम0	पी0एच0डी0	प्रवक्ता बी0एड0
2.	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	श्री शिव प्रसाद मिश्र	04.07.1967	वनस्पति विज्ञान	पी0एच0डी0	प्रवक्ता बी0एड0
3.	श्री अजीत कुमार चौबे	श्री दीनानाथ चौबे	01.08.1983	एम0पी0एड0	नेट	प्रवक्ता बी0एड0 शारीरिक शिक्षा
4.	श्री राहुल कुमार सरोज	श्री रामेश्वर नाथ	10.10.1988	एम0म्यूज0	नेट	प्रवक्ता बी0एड0 म्यूजिक
5.	श्री राकेश मल्ल	श्री तेज बहादुर मल्ल	12.11.1979	गणित	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
6.	श्री रवि कुमार राय	श्री कमलेश पती राय	15.07.1975	गणित	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
7.	श्री अरविन्द कुमार यादव	श्री पारसनाथ यादव	01.01.1984	प्राणि विज्ञान	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
8.	श्री आंशुतोष तिवारी	श्री गजाधर प्रसाद तिवारी	01.07.1989	संस्कृत	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
9.	श्री राकेश कुमार यादव	श्री सन्तराम यादव	12.01.1981	राजनीतिशास्त्र	नेट	प्रवक्ता बी0एड0

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी, विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. गौननीय कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भवदीय,

3
कुलसचिव

कुलसचिव

ME
20-10-15



पत्रांक कु0स0-2 B स0310 5197 / 05-10-प्रअनु-2015 / 2015.

दिनांक 2 अगस्त, 2015

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्छा (रेनुकूट)
सोनभद्र।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय (कला सवंग) के अन्तर्गत अंग्रेजी, समाजशास्त्र एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.06.2015, 09.07.2015 एवं 02.07.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त सदमित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 शासनादेश संख्या-5899/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत राशिदा के आवार पर उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्बन्धित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि वे अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ0 मनोज शर्मा	श्री रविन्द्र शर्मा	19.01.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता अंग्रेजी
2.	डॉ0 किरन मोर्जा	श्री राधे श्याम मोर्जा	08.07.1983	पी0एच0डी0	प्रवक्ता समाजशास्त्र
3.	डॉ0 देवेश कुमार सिंह	श्री रण विजय सिंह	30.03.1975	पी0एच0डी0	विभागाध्यक्ष बी0पी0एड0
4.	श्री अरविन्द कुमार	श्री विनूति राम	07.07.1987	नेट	प्रवक्ता बी0पी0एड0
5.	श्री विकास प्रताप सिंह	श्री पारस नाथ सिंह	01.07.1994	नेट	प्रवक्ता बी0पी0एड0
6.	श्री दिवाकर सिंह	श्री सत्यनारायण सिंह	17.01.1985	नेट	प्रवक्ता बी0पी0एड0
7.	श्री अनुराग कुमार गिरि	श्री विनोद कुमार गिरि	02.10.1989	नेट	प्रवक्ता बी0पी0एड0
8.	श्री बन्धु प्रकाश यादव	श्री बलराम यादव	02.07.1989	नेट	प्रवक्ता बी0पी0एड0
9.	श्री शशि बाबू विश्वकर्मा	श्री शम्भू नाथ विश्वकर्मा	06.08.1987	नेट	प्रवक्ता वाणिज्य
10.	श्री अनिल कुमार चावला	श्री दौलत राम चावला	02.08.1978	नेट	प्रवक्ता वाणिज्य
11.	डॉ0 सजय रस्तोगी	श्री रामसरन रस्तोगी	14.06.1982	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वाणिज्य
12.	डॉ0 असुप्रग पाण्डेय	श्री त्रिवेणी सहाय पाण्डेय	01.05.1981	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वाणिज्य

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कम्प्यूटरी प्राविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन नुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त सविदा नवीनीकृत की जा सकेंगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी-सूचनाार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव

(सम्बन्धिता)

1. 11. 11. 2013

11/11/2013



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

वाराणसी-2

दूरभाष- 0542 2221718

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

Varanasi-2

Tel. No.- 0542 2221718

पत्रांक : स0कु0स0/2 B स0अ0/1505/05-07-2012/2013

दिनांक 16 नवम्बर, 2013

सेवा में,

प्रबंधक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,

खाड़पाधर, मधवा,

सोनभद्र।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी एवं भूगोल प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में

प्रतिष्ठित पत्र दिनांक 25.10.2013 के तदर्थ में सूच्या है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख उपयुक्त सर्वनिर्गत विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के तत्कालीन अर्हता के अन्तर्गत अर्हता के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि अर्हता में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन एवं निम्नोक्त अधिकारियों को उनके सम्बन्धित विवरण के अनुसार पंच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि अर्हता में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन एवं निम्नोक्त अधिकारियों को उनके सम्बन्धित विवरण के अनुसार पंच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। यदि य चयनित अन्यथा अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः ही सम्पन्न जायगा।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद/विषय
1	श्री. शक्ति कुमारी	श्री. इजरम सिंह	11.11.86	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता हिन्दी
2	श्री. विद्या कुमारी	श्री. गणेश प्रताप सिंह	08.04.82	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता भूगोल

अतः पूर्व पत्र पर अर्हता प्रवक्ताओं को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अंशों में मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करे। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अनुमोदन प्रवक्ता के स्वतः तैयारित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति प्रवक्ता अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जायें। साथ ही यह भी सूच्या है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबंध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा एकाउण्टपैरी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय। सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकती है।

भवदीय
[Signature]

(सुभाष चन्द्र वर्मा)
सहायक कुलसचिव

- प्रतिलिपि सूचनार्थ पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
- माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
 - कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
 - परीक्षा नियंत्रक, स0ग0काशी विद्यापीठ, वाराणसी

(सुभाष चन्द्र वर्मा)
सहायक कुलसचिव

(संस्कृत)
Asst. Registrar
(Affiliation)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2221718

संज्ञांक : स०कु०स०-संस्कृत/05/715/(प्र.अनु)/2013

दिनांक : 13 जून, 2013

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
मुर्खवा, रेणुकूट,
सोनभद्र।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता बी०ए०के० के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
नहाँवर्य,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 29.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में सूचित है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विद्यापीठसभा कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विद्या के आधार पर अधोलिखित विवरण के अनुसार उक्त प्रवक्तार्थों को पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त किया जाएगा।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता बी०ए०के०
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार दूब	श्री एस० आर० दूब	03.02.82	एम०ए०-सी०, एम०ए०के०	प्रवक्ता बी०ए०के०
2.	श्री चन्द्रवीर सिंह	श्री जगदीश सिंह	18.11.83	एम०ए०, एम०ए०के०	प्रवक्ता बी०ए०के०
3.	श्री लियाकत अली	स्व० अब्दुल रहीम	14.07.80	एम०ए०, एम०ए०के०	प्रवक्ता बी०ए०के०
4.	सुश्री अलका सिंह	श्री जगत नारायण सिंह	01.07.82	एम०ए०, एम०ए०के०	प्रवक्ता बी०ए०के०

अतः उपरोक्त की शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के जन्म प्रमाणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रवक्ता के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य को एवं एक प्रति संविदा प्राप्त अभिलेख फुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें, इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्राचार्य को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखें, प्राचार्य के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टमेंटी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परीक्षा नियंत्रक, महा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(Handwritten Signature)
प्राचार्य
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाटागाथर, मुर्खवा(रेणुकूट) सोनभद्र

सहायक कुलसचिव



संश्लेषण : संकुम/0-सम्बद्धता/05/711/(प्र.अनु)/2013

दिनांक : 13 जून, 2013

सेवा में

प्रबंधक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
मुर्धवा, रेणुकूट,
सोनभद्र।

विषय : स्वयत्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता बी0एड0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ,

सूचना संपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 06.03.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस संदर्भ में सूचित है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबंधक सचिवालय की स्वीकृति पर विद्यार्थीपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2006 के आलोक में स्वयत्तपोषित योजनान्तर्गत सविदा के आधार पर अधोलिखित विवरण के अनुसार उक्त प्रवक्ताओं का पंच वर्ष के लिए नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी हो तो प्रबंधक नियम महाविद्यालयक प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित प्राप्त गये हो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद/विषय
1.	श्री इमश सिंह चन्देल	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	29.04.80	एम0ए0, एम0एड0	प्रवक्ता बी0एड0
2.	श्री बबलू राम	श्री जीत राम	01.06.85	एम0ए0, एम0एड0	प्रवक्ता बी0एड0

अतः उपरोक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को मूल सांख्यिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संवेदा प्रवक्ता (अभ्यर्थी एवं अनुसूचक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य को एवं एक प्रति सहित अन्य अभिलेख कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्राचार्य को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखें, प्राचार्य के लिए अनुबन्धित अतिरिक्त निधि (कन्सीडरेशन प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टपेयी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।


भवदीय


प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी - सूचनाार्थ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परिष्कार नियंत्रक, म0गा0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्राचार्य

बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खालसाथर, मुर्धवा(रेणुकूट) सोनभद्र


प्रिंसिपल कुलसचिव


सहायक कुलसचिव



पत्रांक : कु0स10-2 B स0310/29644 /05-601-2023/2023

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0पी0एड0 एवं वी0एड0 पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय हेतु प्रवक्ताओं के संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 04.07.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में कार्यालय पत्रांक-कु0स10-2 B स0310/5197/05-10-प्र.अनु.-2015/2015, दिनांक 20 अगस्त, 2015 तथा पत्रांक-कु0स10-2 B स0310/5536/05-10-प्र.अनु.-2015/2015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-कु0स10-2 B स0310/10880/05-227-प्र.अनु.-2016/2016, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं के संविदा विस्तारण की प्रवन्ध समिति की संस्तुति/स्वीकृति पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा अधिवर्षिता आयु तक शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन संविदा विस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा0 कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुगन्ध होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिक्रेशर/ओरिएण्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।


महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित अप्रथर्ती अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका संविदा विस्तारण का अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	नयी संविदा प्रारम्भ की तिथि	पदनाम	आधार
1.	श्री विकास प्रताप सिंह	श्री पारस नाथ सिंह	01.07.1984	06.09.2020	07.09.2020	प्रवक्ता वी0पी0एड0	543403059860
2.	श्री आशुतोष तिवारी	श्री गजाधर प्रसाद तिवारी	01.07.1989	23.09.2020	24.09.2020	प्रवक्ता वी0एड0	853003538964

3.	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	श्री शिव प्रसाद मिश्र	04.07.1967	05.04.2021	06.04.2021	प्रवक्ता बी०एड०	695399665259
4.	श्री अरविन्द कुमार यादव	श्री पारस नाथ यादव	01.01.1984	05.04.2021	06.04.2021	प्रवक्ता बी०एड०	908571760386
5.	कु० जौली अम्बष्ठा	श्री जय नारायण लाल	07.10.1977	22.11.2021	23.11.2021	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)	598531035696

अतः उपर्युक्त अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्यतः देय होगा, तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय,


कुलसचिव
9/10/23 9/10/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

1
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/29618 / 05-539-2022/2023,
सेवा में,

दिनांक: 27 सितम्बर, 2023

प्रबन्धक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.05.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी का अनुमोदन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त सत्यापन आख्या के क्रम में अधिवर्षिता आयु तक के लिए अनुमोदन शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा0 कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिक्रेशर/ओरिएण्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	डॉ० अजय सिंह यादव	श्री राम केवल	04.08.1979	पी०एच०डी०	विभागाध्यक्ष बी०एड०	306194064320

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्राचार्य द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्राचार्य का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भवदीय,

कुलसचिव
25/9/23 25/9/23

1
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0310/29338/05-539-2022/2023,
सेवा में,

दिनांक: 22 जून, 2023

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्घवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0, चित्रकला एवं शारीरिक शिक्षा, वी0पी0एड0 पाठ्यक्रम प्रवक्ता, कला संकाय में अंग्रेजी, हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्य संकाय में वी0काम0 पाठ्यक्रम, विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, जैव प्रौद्योगिकी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.05.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा अधिवर्षिता आयु तक शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा0 कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिक्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता/विषय	पदनाम	आधार कार्ड नं0
1.	श्री रूपेन्द्र कुमार यादव	श्री राधेश्याम यादव	01.07.1992	नेट	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	308903671707
2.	डॉ0 अशोक बागडी	श्री भागीरथी बागडी	24.03.1985	पी0एच0डी0	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	861691138442
3.	डॉ0 राहुल द्विवेदी	श्री सन्तोष कुमार	15.07.1987	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गणित	471398669566
4.	श्री प्रदीप कुमार यादव	श्री विजय यादव	20.12.1989	नेट, सामजशास्त्र	प्रवक्ता वी0एड0	428065976904

(Handwritten Signature)

5.	श्री अखिलेश कुमार यादव	श्री हरि श्याम यादव	03.05.1985	नेट, भूगोल	प्रवक्ता बी०एड०	203294637674
6.	श्री अरुण प्रताप सिंह	श्री जवाहर लाल कुशवाहा	05.12.1982	नेट	प्रवक्ता बी०एड० शारीरिक शिक्षा	977900971846
7.	श्री इरशाद अली	श्री मोल्हे	05.01.1994	नेट	प्रवक्ता बी०एड० चित्रकला	235861620282
8.	श्री धीरेन्द्र कुमार	श्री सदानन्द सरोज	12.06.1990	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)	909451527148
9.	श्री प्रेमचन्द	श्री श्रीनाथ	10.08.1982	नेट	प्रवक्ता हिन्दी (P.G.)	538447471144
10.	डॉ० आरती श्रीवास्तव	स्व० भरत लाल श्रीवास्तव	01.02.1980	पी०एच०डी०	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास	296035973159
11.	श्री सुरेश कुमार	श्री राम लौटन	22.06.1979	नेट	प्रवक्ता हिन्दी (U.G.)	588610632497
12.	श्री रमाकान्त वर्मा	श्री हरि शंकर वर्मा	20.12.1993	नेट	प्रवक्ता बी०पी०एड०	948460459672
13.	श्री संजय गिरी	श्री एम०पी० गिरी	03.05.1987	नेट	प्रवक्ता बी०पी०एड०	692048903566
14.	डॉ० रमा शंकर शुक्ल	श्री रामचन्द्र शुक्ल	26.07.1985	पी०एच०डी०	प्रवक्ता बी०पी०एड०	976707051856
15.	श्री अतुल वर्मा	श्री राधेश्याम वर्मा	07.07.1987	नेट	प्रवक्ता बी०पी०एड०	579944390749
16.	कु० नजमीन बानो	श्री आविद अली	03.09.1991	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)	856220368268
17.	श्री रामू	श्री फूलचन्द	17.07.1994	नेट	प्रवक्ता भूगोल (P.G.)	691803957761
18.	श्री रामकिशुन	श्री भग्गल निषाद	06.09.1994	नेट	प्रवक्ता भूगोल (P.G.)	329422162639
19.	श्री दीनदयाल यादव	श्री मुरली राम यादव	05.06.1984	नेट	प्रवक्ता भूगोल (U.G.)	531010206280
20.	डॉ० दुर्गावती शर्मा	स्व० रामचरन शर्मा	01.02.1983	पी०एच०डी०	प्रवक्ता गृहविज्ञान	579321459834
21.	डॉ० रेखा	श्री राजपति राम	02.08.1986	पी०एच०डी०	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	363138525842
22.	श्री योगेन्द्र सिंह	श्री राज कुमार यादव	10.12.1996	नेट	प्रवक्ता राजनीति शास्त्र	676782588000
23.	डॉ० सुलम सुधाकर शर्मा	श्री सोहन लाल वर्मा	06.04.1982	पी०एच०डी०	प्रवक्ता अंग्रेजी	305188585859
24.	श्री अभिषेक सिंह	श्री ओम प्रकाश सिंह	09.10.1987	नेट	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा	358855415350
25.	डॉ० राजेश कुमार	श्री राज पाल सिंह	10.07.1985	नेट	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	489404247872
26.	श्री दिव्य विकास सिंह	श्री प्रमोद कुमार सिंह	15.07.1989	नेट	प्रवक्ता जैव प्रौद्योगिकी	710997648065
27.	श्री छेदीलाल प्रजापति	श्री मुक्ति नारायण प्रजापति	17.01.1990	नेट	प्रवक्ता बी०काम०	646443061507
28.	डॉ० मानव सिंह	श्री डी०ओ० सिंह	26.07.1981	पी०एच०डी०	प्रवक्ता बी०काम०	574885574262
29.	श्री प्रवीन गुप्ता	श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता	20.02.1991	नेट	प्रवक्ता बी०काम०	421950905920
30.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री सभाजीत	07.07.1987	नेट	प्रवक्ता रसायन विज्ञान	990566260169

(Signature)




-3-

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पत्रिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै0स0, कुलपति - मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भवदीय,


कुलसचिव
17/6/23

1
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/ 1934) /05-331-2017/2022,

दिनांक: ५ अप्रैल, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्घवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 03.03.2022 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं चयनित प्राचार्य के चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा अधिवर्षिता आयु तक शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्मन्वित करके ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा0 कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन, शिक्षकों को रिक्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमिनार/कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। चयनित प्राचार्य अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक-अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	डॉ० विजय प्रताप सिंह	स्व० मधुवन सिंह	21.12.1960	पी०एच०डी०	प्राचार्य	514758671928

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय,

Bandy

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/10150 /05-331-2017/2021
सेवा में,

दिनांक: 08 मार्च, 2021

प्रबन्धक,
गाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर (मुर्धवा) रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16.07.2020 एवं 14.10.2020 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18 (99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 एवं शासनादेश स0 1010/70-3-2015-वी0एड0 (05)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्बन्धित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	श्री सतीश कुमार गुप्ता	श्री छेदी लाल गुप्ता	20.05.1989	गणित	प्रवक्ता वी0एड0	314803821788
2.	श्री अमित कुमार यादव	श्री मिश्री लाल यादव	20.01.1992	अर्थशास्त्र	प्रवक्ता वी0एड0	789479428083
3.	कु० बविता श्रीवास्तव	श्री भगवत शरण श्रीवास्तव	16.07.1980	हिन्दी	प्रवक्ता वी0एड0	300962023916
4.	श्री सुनील कुमार सिंह	श्री. लाल जी सिंह	15.07.1985	भूगोल	प्रवक्ता वी0एड0	632804118610
5.	श्री पंकज कुमार दिनेश	श्री सुन्दर लाल	15.05.1988	राजनीतिशास्त्र	प्रवक्ता वी0एड0	237533526655
6.	श्री हीरा लाल वर्मा	श्री चन्द्रिका प्रसाद	21.07.1980	शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता वी0एड0	715906668807
7.	श्री अमित कुमार	श्री राम लाल प्रजापति	25.04.1986	संस्कृत	प्रवक्ता वी0एड0	813397952400
8.	श्री चंचल कुमार यादव	श्री राजनाथ यादव	02.07.1990	शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता वी0एड0	981375146010
9.	श्री सुनील कुमार	श्री लाल दास	01.01.1983	प्राचीन इतिहास	प्रवक्ता वी0एड0	989735737212

उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही सूचित किया जाता है कि प्राचार्य पद पर चयनित डॉ० विजय प्रताप सिंह का किये गये अध्यापन कार्य का सम्बन्धित महाविद्यालय तथा विभागाध्यक्ष पद पर चयनित डॉ० दीपेश कुमार का अध्यापन कार्य का सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों के सत्यापनोपरान्त अनुमोदन किया जायेगा। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव
(सम्बद्धता)
Astt.Registrar
(Affiliation)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2221718

पत्रांक : स0कु0स0-सम्बद्धता/05/747/(सं वि.)/2013,

दिनांक : 15 जून, 2013

सेवा में,

प्रबंधक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्घवा, रेनूकूट,
सोनभद्र।

विषय :- विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 15.04.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 के आलोक में प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 09.12.2012 के क्रम में स्वयित्तपोषित योजनान्तर्गत कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पत्रांक पू0वि0वि0/सम्बद्धता/08-07/तीन/2009/837 दिनांक 07.09.2009 द्वारा 15.12.2007 से पाँच वर्षों हेतु सेवा विस्तारित अधोलिखित प्रवक्ताओं का संविदा पुनः विस्तरण उनके नाम के सम्मुखान्तित तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए किये जाने हेतु मा0कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	अध्यापक नाम	पिता का नाम	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति तिथि	नयी संविदा प्रारम्भ की तिथि
1.	डॉ० विजया शाही	श्री के० पी० शाही	प्रवक्ता गृहविज्ञान	14.12.2012	15.12.2012
	डॉ० अशोक कुमार शुक्ला	श्री शीतला प्रसाद शुक्ला	प्रवक्ता संस्कृत	14.12.2012	15.12.2012

कृपया अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि के स्पष्ट उल्लेख के साथ ही अध्यापकों के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


सहायक कुलसचिव

15.6.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जोनपुर



प्रेषक:-

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

जोनपुर (उ०प्र०)

सेवा में,

पत्रांक 78/8/विद्यार्त्ता/04

दिनांक 09-12-2004

प्रबन्धन,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
बाइपास, गुरधवा रेनुकोट जोनपुर।

विषय:-

बाबू राम सिंह महाविद्यालय, बाइपास गुरधवा रेनुकोट जोनपुर में
स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत प्रश्न पत्रान्तर्गत प्रश्नार्थ एवं प्रश्नार्थी के
अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रुतया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-23.8.2004 का अंश ग्रहण करने का कष्ट करें। इस अंश में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिषेधों के आधार पर विद्यारोपरांत कुलपति महोदय ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को साक्षात् दिनांक-9 मई, 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत उ ज्येष्ठा उ वर्ष की उमेर के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिषेधों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा किया गया अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. डॉ० रमाकान्त मिश्रा | हिन्दी |
| 2. डॉ० ज्योति रानी जायसवाल | प्राचीन इतिहास |
| 3. डॉ० अभय कुमार मिश्रा | समाजशास्त्र |
| 4. अशोक कुमार गुप्त | संस्कृत |
| 5. डॉ० तारिक्ता पाण्डेय | भूगोल |
| 6. डॉ० कुमारी विजया गाही | गृहीतज्ञान |

नतः उपरोक्त को सुयोग्य साक्ष्यादिशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्मित कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं उमेर प्रश्न अभ्यर्थी के स्वच्छता कर का प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिषेध हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय
बाइपास, गुरधवा - जोनपुर
उ०प्र०

बाध्य

बाबू राम सिंह महाराज
बाइपास, गुरधवा - जोनपुर
जोनपुर (उ० प्र०)

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/08-07(टी-1)/2009/ 837
दिनांक: 7.9.2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुरघवा (रेनुकूट), सोनमद्र।

विषय :- बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुरघवा (रेनुकूट), सोनमद्र में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषय में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ताओं के संविदा-विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-07.05.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-01.09.2009 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-7818/सम्बद्धता/2004, दिनांक-09.12.2004 द्वारा अनुमोदित एवं प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराये गये अभिलेखों के आधार पर कार्यरत निम्नलिखित प्रवक्ताओं का संविदा-विस्तरण उनके नाम के सम्मुख तिथि से पाँच वर्षों के लिये किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है-

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	प्रवक्ता	संविदा-विस्तरण तिथि
डॉ. ज्योति रानी जायसवाल	श्री रामनाथ जायसवाल	02-10-1977	प्रा. इतिहास	15.12.2007 से 5 वर्ष
डॉ. अभय कुमार मिश्र	श्री अमर कान्त मिश्र	21-11-1959	समाजशास्त्र	15.12.2007 से 5 वर्ष
श्री अशोक कुमार शुक्ल	श्री शीतला प्रसाद शुक्ल	05-01-1971	संस्कृत	15.12.2007 से 5 वर्ष
डॉ. सविता पाण्डेय	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	19-06-1969	भूगोल	15.12.2007 से 5 वर्ष
डॉ. विजया शाही	श्री कं.पी. शाही	16-10-1964	गृहविज्ञान	15.12.2007 से 5 वर्ष

भवदीय,

कुलसचिव



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री श्रीमानन्द
 पुत्र / पुत्री / श्री श्रीनाथ निवासी ग्राम + पोस्ट-
मरहरा, अम्बेडकरनगर, उ०प्र०
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B ख०अ०/29338/05-539-2023
 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-16 में प्रवक्ता-हिन्दी के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Remchandra

प्राप्त किया

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री आरती श्रीवास्तव
पुत्र/पुत्री/श्री मरत लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम + पोस्ट-
4-F-16, उतौरा, शर्बटसरांज, सोनभद्र, उ०प्र०
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ०/29338/05-539-2022/2023
दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला-UG में प्रवक्ता-प्रा०इतिहास के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एस०एम० / /2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

आरती श्रीवास्तव
प्राप्त किया


प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5735/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री...पीरैन्द कुमार
 पुत्र/पुत्री/श्री...सदानन्द शरोज निवासी ग्राम + पोस्ट-
कटका, कधवा, मिर्जापुर, उ०प्र०
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-28स०अ०/29338/05-539-2022/2023
 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - P.G. में प्रबन्धक-समाजशास्त्र पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


 प्रबन्धक
 प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



प्राप्त किया

प्रबन्धक.



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

क्र. BRSSM/15135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री श्रीमती शैरवा पुत्र/पुत्री/श्री
राजपति राम निवासी ग्राम + पोस्ट- सराय मानिक
राज, गुरैनी, गाजीपुर, उ०प्र० - 215205 को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या क०स०-2B स०स०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-UG में प्रवक्ता-अर्थशास्त्र के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
 डॉ० शैरवा

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2022

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री सुरेश कुमार
 पुत्र / पुत्री / श्री राम लाल
 असारहाँ, भाऊ कुआँ, लालालपुर, सम्बुडकरनगर, 390
 निवासी ग्राम + पोस्ट-
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-285030/29338/05-539-2022/2023
 दिनांक 22 जून 2022 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-UG में प्रवक्ता-हिन्दी के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक


पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० /

/2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Suresh Kumar
 प्राप्त किया


 प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक...BRSSM/51351/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ0/श्री श्रीगोन्द सिंह पुत्र/पुत्री/श्री
शज कुमार साहव निवासी ग्राम + पोस्ट- चैतरा
सराय ममरैत, इलाहाबाद, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स० अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - UG में प्रवक्ता (शाली शिक्षक) पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी0आर0एस0एस0एम0 / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ0/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Yogendra Singh
 प्रबन्धक


प्रबन्धक

1482/2002-03

ड-508

मोबाइल नं०-9454844669

दूरभाष नं०-(05446) 2557



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.Ssm) 5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुलभ सुधाकर वर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
सोहन लाल वर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- 98, वैर
श्री.रा.ब.रा.श. श्वेडा, साँबला, बरैली, यू.पी.-243301 को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०सी०-2B स०अ०/29338/05-539-2023/दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कुला-UG में प्रवक्ता (अंग्रेजी) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Received
S. W. Ma

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....BRSSM/5135/2023

दिनांक.....24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्रीसामर्थेक सिंह..... पुत्र/पुत्री/श्री
सोम प्रकाश सिंह..... निवासी ग्राम + पोस्ट-779, घासिमारी
मण्डी, आदवा नगर, सुल्तानपुर, उ०प्र०..... को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B.स०स०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023..... द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-UG में प्रवक्ता-शारीरिक के पद पर05..... वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुजती नाजमीन बानो पुत्र/पुत्री/श्री
आबिद अली निवासी ग्राम + पोस्ट- 340
कुमारगंज, बानन, कलानाबाद, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
पत्र, पत्रांक संख्या कु०प्र०-2B/स०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2026 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला-प० में प्रवक्ता गृहविज्ञान के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक


पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त छिप

N Bae


प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ0/श्री सुश्री दुर्गावती शर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
 रामचरण शर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- भालीपुर
 कुल्लानपुर, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कुं.सं-2B सं.अं/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - UG में प्रवक्ता-वैज्ञानिक पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।



 प्रबन्धक

पत्रांक बी0आर0एस0एस0एम0 / /2022, तददिनांक-

गबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ0/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

पाठ लिखा


प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....BRSSM/5135/2023

दिनांक.....24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री दीनदयाल यादव पुत्र/सुत्री/श्री
मुरली राम यादव निवासी ग्राम + पोस्ट- मधवापुर,
मानीपुर, फूलपुर, खालभगद, इ.प्र.०
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2Bस०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला-UG में प्रवक्ता-भूगोल के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

.....

.....

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री समाकिशुन पुत्र/पुत्री/श्री
भागमल निषाद निवासी ग्राम + पोस्ट- मौढ़वा रघुवंशी
पोस्ट - कैवटाड़ी, सम्बलपुर नगर, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2Bस०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - MA में प्रवक्ता-भूगोल के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
राम किशुन


प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

दिनांक 24/06/2023

पत्रांक.....

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री राम पुत्र/पुत्री/श्री
फूलचन्द निवासी ग्राम + पोस्ट- सरौनी
पश्चिम पट्टी, जौनपुर, उत्तरप्रदेश को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B सं०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला-सम०श० में प्रवक्ता-भूगोल के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्तकिया
Ramu


प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....BRSSM/5135/2023

दिनांक.....24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री अशोक वागडी
 पुत्र / पुत्री / श्री भागीरथी वागडी निवासी ग्राम + पोस्ट-
465, इन्दिरानगर, उज्जैन म०प्र०
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ०/29338/05-539-2022/2023
 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग विज्ञान - UG में प्रवक्ता - Zoology के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Received
A. Bagdi

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक. BRSSM/5135/2023

दिनांक. 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री. रुपेंद्र कुमार यादव
 पुत्र / पुत्री / श्री राधेश्याम यादव निवासी ग्राम + पोस्ट-
M.A.T. बारपुर, सोनपुर, उ०प्र०
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या क्र०स०-2Bस०अ०/29338/05-539-2022/2023
 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग विज्ञान-UG में प्रवक्ता-Botany के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/5135 /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री DHARMENDRA KUMAR..... पुत्र/पुत्री/श्री
SARHA JEE T..... निवासी ग्राम + पोस्ट- BASAHIYA, Post-
BASKHAHE Dist- AMBEDKAR NAGAR, PIN- 224129.....को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B सं०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023..... द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग विज्ञान (B.Sc.) में प्रवक्ता- Chemistry के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 5135 / 2022, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक





बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/श्री
RAJ PAL Singh निवासी ग्राम + पोस्ट- BHURIPUR Post-
BEWATI Dist- BARELI को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2Bस०स०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग विज्ञान (B.Sc) में प्रवक्ता (Physics) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक... BRSSM/5135/2023

दिनांक... 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री... शहूल द्विवेदी
पुत्र / पुत्री / श्री... सन्तोष कुमार निवासी ग्राम + पोस्ट-
बौर बाजार, स्टेशन रोड, अटर्ग, जाँदा, 380
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2Bस०अ०/29338/05-539-2022/2023
दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग... विज्ञान-UG में प्रवक्ता-शाणिर के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-


बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

शहूल द्विवेदी



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.S.S.M/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री ...MANAV SINGH..... पुत्र/पुत्री/श्री
DEEPTICK O SINGH..... निवासी ग्राम + पोस्ट- 119/157 BEHIND F.F.
TOWERS, KHADARE LANE, CANTT ROAD, LUCKNOW को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०स०/29338/06-539-2022/ दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग वाणिज्य में प्रवक्ता (B.L.M) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ 5135/2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री CHEJLAL PRATAPATI पुत्र/पुत्री/श्री
MUKTI NARAYAN PRATAPATI निवासी ग्राम + पोस्ट-VILL-EK SARWA, POST-KOLHUI,
TAHSIL-NAUTANWA, DIST-MAHARAJGANJ (U.P.) PIN 223164 का विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु.स०-2B स०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग जागरण में प्रवक्ता (B.Com) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 5135 / 2023, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री PRAVEEN GUPTA पुत्र/पुत्री/श्री
HARISH CHANDRA GUPTA निवासी ग्राम + पोस्ट-223 JUGAULI SONAVLI
BAZAR, NAVTANWA MAHARAJGANJ (U.P) PIN 23164 को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग जाणीज्म में प्रबन्धक (B.COM) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Praveen Gupta

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री अतुल वर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
सत्यशमाम वर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- 1248, डैकरगंज
निकट डॉ० शानी दवारवाना, फैताबाद, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2Bस०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता-B.P.Ed के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

प्राप्त किया
 Atul Verma



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री रमा शंकर शुक्ल पुत्र/पुत्री/श्री
 रामचन्द्र शुक्ल निवासी ग्राम + पोस्ट- जसुरीदोला,
 दरपीपुर, अमोही, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स्त०अ०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता-B.P.Ed के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
 Reshukla

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री संजय गिरी पुत्र/पुत्री/श्री
रम० पी० गिरी निवासी ग्राम + पोस्ट- महुवारी
कल्याणपुर बस्ती, कैप्टेनगंज, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२६ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
२२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता-B.P.Ed के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

संजय गिरी
Sanjay Giri

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....B.R.S.S.M/5135/2023

दिनांक.....24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री रमा कान्त वर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
श्री शंकर वर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- 39, कोचमारा,
सुनाया, जालौन, उ०प्र० को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०स०/29338/05-539-2022/2023 दिनांक
22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता - B.P.Ed के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
24/06/23


प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

ख्या-1482/2002-03

ज कोड-508

मोबाइल नं०-945484466

दूरभाष नं०-(05446) 255



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/23

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री...IRSHAD ALI (इरशाद अली).....
पुत्र/पुत्री/श्री...MOLHI (मौल्ही)..... निवासी ग्राम + पोस्ट-
...सीकोहना, पोस्ट-बरौली, तहसील-फतेहपुर, जिला-वाराणसी, उ०प्र०
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०सा०-2B स०सा०/29338/05-539-2022/2
दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शिक्षा संकाय में प्रवक्ता के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

Irshad Ali

जायल कर्म



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री अरुण प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री/श्री जवाहर लाल कुशवाहा निवासी ग्राम + पोस्ट-
सच० साई० जी०-11, रीवर बैंक इन्क्लेव, तिवेणीपुरम, कटका, झुसी, इलाहाबाद


को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु० सा०-2B स० अ०/29338/05-539-2022/2023

दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के

विभाग शिक्षा (B.Ed.) में प्रवक्ता (Phy. Edu) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त

किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।

आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।



प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्रबन्धक

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री...आश्विनीश कुमार यादव.....
पुत्र/पुत्री/श्री...इरि राम यादव..... निवासी ग्राम + पोस्ट-
मिठुतपुरा, बैलभारा रोड, बलिया, मूपी - 221715.
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०सा०-28.स०अ०/29338/05-539-2022/
दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के 2023
विभाग शिक्षा (B.Ed) में प्रवक्ता (सामान्य) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(Handwritten signature)
प्रबन्धक

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....B.R.S.S.M/5L35/2023

दिनांक.....24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री.....प्रदीप कुमार यादव.....
 पुत्र/पुत्री/श्री.....विजय यादव (Vijay Yadav) निवासी ग्राम/ + पोस्ट-
 पाटूरपुर, समुद्रपुर, जिला - चन्दौली, युपी - 221115
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०सा०-2B सा०सा०/29338/05-539-2022/2023
 दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शिक्षा (B.Ed) में प्रवक्ता (सामान्य) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।



 प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक...22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सतीश कुमार गुप्ता पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री हेदी लाल गुप्ता
निवासी ग्राम+पोस्ट-रवर्गैसनपुर, थानछाड़ी, जौनपुर को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग प्रिन्सिपल में गणित
के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/4782/2021, तद्दिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री सतीश कुमार गुप्ता
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Sateesh Kumar Gupta

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

दिनांक 22/03/21

पत्रांक BRSSM/4782/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री लाल जी सिंह निवासी ग्राम+पोस्ट- नीवादा, जलालपुर, सोनपुर को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग प्रीक्षा संकाय में प्रवक्ता (बी०ए०) के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक


पत्रांक बी०आर०एस०एम०/4782/2020, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री सुनील कुमार सिंह
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Sunil Kumar

प्रबन्धक



प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक...22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री कु० बबिता श्रीवास्तव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मंगल शरण श्रीवास्तव निवासी ग्राम+पोस्ट-जानकीनगर बहराइच रेंडको विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रवक्ता बी०ए० के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० /4782/2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. डॉ०/श्री कु० बबिता श्रीवास्तव
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Babita
प्राप्त किया

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक...22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री पंकज कुमार दिनेश, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सुन्दर लाल
 निवासी ग्राम+पोस्ट- कालूराम पूरवा, त्रिगुणिकुट विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रबन्धक
की रहूँ के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
 अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
 के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/4782/2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री पंकज कुमार दिनेश
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

Prasanna

[Signature]

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/4782/2021

दिनांक...22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री चंचल कुमार झाड़व पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजनाथ झाड़व निवासी ग्राम+पोस्ट- रीही, जिला-मौनपुर को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रबन्धक के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/4782/2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

चंचल कुमार

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.S.M / 4782 / 2021

दिनांक 22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री अमित कुमार यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मिस्त्री लाल यादव निवासी ग्राम+पोस्ट- कैराडीह, खुटहन, जौनपुर विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० / 15994 / 05-331-2017 / 2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाम में प्रवक्ता के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० / 4782 / 2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री अमित कुमार यादव
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Received
Amit Kumar Yadav

प्रबन्धक

[Signature]
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक BRSSM/4782/2021

दिनांक 22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री हीरा लाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री चान्दिना
प्रसाद निवासी ग्राम+पोस्ट-धनेशपुर, पी० करद विश्वविद्यालय के
जिला-सोनभद्र पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रवक्ता
श्री.एस.के. के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० / 4782/2020, तददिनांक-22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री हीरा लाल
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेंनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्रबन्धक

[Signature]

[Signature]

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...BRSSM/4782/2021

दिनांक...22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुनील कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री माला दास
 निवासी ग्राम+पोस्ट- धमडा, कटहरा, जिला
प्रयागराज (उ०प्र०) को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग श्रीश्यासंकाश में प्रवक्ता
बी०एस० के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
 अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
 के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० / /2020, तददिनांक-

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री सुनील कुमार
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

81 km

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक 22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री अमित कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रामलाल प्रजापति निवासी ग्राम+पोस्ट-गौरा, खालशहपुर, जौनपुर विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-2B स०अ० /15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकलन प्रवक्ता के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० /4782/2020, तद्दिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री अमित कुमार
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

अमित कुमार

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

(d) The Workshop Space shall include provision in two separate spaces for the conducting of specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops, craft, music and physical education workshops (including yoga education). These spaces should allow for free physical movement for a batch of 25-30 students.

6.3 Other Amenities

- functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- Arrangement may be made for parking of vehicles.
- Access to safe drinking water in the institution.
- Effective arrangement for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities (separate toilet for men, women and PWD), repair and replacement of furniture and other equipment.

(Note: In case of composite institution, the infrastructural, instructional and other facilities shall be shared by various programmes.)

7. Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per norms of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such norms, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust / Company, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the faculty.

APPENDIX-4

Norms and Standards for bachelor of education programme leading to the Bachelor of Education (B.Ed) Degree

1. Preamble

The Bachelor of Education programme, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary or middle level (classes VI-VIII), secondary level (classes IX-X) and senior secondary level (classes XI-XII). The programme shall be offered in composite institutions as defined in clause (b) of regulations 2.

2. Duration and Working Days

2.1 Duration

The B.Ed. programme shall be of a duration of two academic years, which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days

- There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission.
- The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consultation as and when needed.
- The minimum attendance of student-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for school internship.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 50 students, with a maximum of two units. There shall not be more than twenty five students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

3.2 Eligibility

- Candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's Degree in Sciences/Social Sciences/ Humanity, Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.
- The reservation and relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

3.4 Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / state government concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4.3 Assessment

For Perspectives in Education and Curriculum and Pedagogic Studies, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80% marks for external examination. One-fourth of the total marks/weightage shall be allocated to assessment of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be prescribed by the affiliating university. Candidates must be internally assessed on the entire course of Engagement with the Field and not only on the project/field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, student portfolio, diaries, journal etc.

5. Staff

5.1 Academic Faculty

For an intake of two basic units of 50 students each, that is total students strength of 200, there shall 16 full-time faculty members

The distribution of faculty across different curricular areas shall be as under:

1. Principal/ HoD	One
2. Perspectives in Education	Four
3. Pedagogy subjects (Maths, Science, Social Science, Language)	Eight
4. Health and Physical Education	One
5. Fine Arts	One
6. Performing Arts (Music/Dance/Theatre)	One

Note: (i) The faculty positions listed under different subject categories may teach course(s) in the Teacher Education Programme across curricular areas specified, and can cater to both foundation and pedagogy course(s). If the students' strength for two years is one hundred (with one basic unit) only, the number of faculty shall be reduced to 8.

(ii) Faculty can be utilised for teaching in flexible manner so as to optimize academic expertise available.

5.2 Qualifications

The faculty shall possess the following qualifications:

A. Principal/HoD

- (i) Postgraduate degree in Arts/Sciences/Social Sciences/Humanities/ Commerce with minimum 55% marks; and
 - (ii) M.Ed. with minimum 55% marks; and
 - (iii) Ph.D. in Education or in any pedagogic subject offered in the institution; and
 - (iv) Eight years of teaching experience in a secondary Teacher Education Institution.
- Desirable: Diploma/Degree in Educational Administration or Educational Leadership.

B. Perspectives in Education or Foundation Courses

- (i) Postgraduate degree in Social Sciences with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree from a recognised university with minimum 55% marks.

OR

- (i) Postgraduate (MA) degree in Education with minimum 55% marks; and
- (ii) B.Ed./B.El.Ed. degree with minimum 55% marks.

C. Curriculum and Pedagogic Courses

- (i) Postgraduate degree in Sciences/ Mathematics/ Social Sciences/ Languages with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree with minimum 55% marks.

Desirable : PhD degree in Education with subject specialisations.

[Note: In case of B and C put together, for two faculty positions, a postgraduate degree in Sociology/Psychology/Philosophy with 55% marks, and B.Ed./BEIEd with 55% marks and three years of teaching experience in a secondary school shall be considered].

D. Specialised Courses Physical Education

- (i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 55% marks. (Training/qualification in yoga education shall be desirable)

Visual Arts

- (i) Post graduate degree in Fine Arts (MFA) with minimum 55% marks.

Performing Arts

- (i) Post graduate degree in Music/Dance/ Theatre Arts with minimum 55% marks

5.3 Administrative and Professional Staff

- | | |
|--|-----|
| (a) Librarian (B.Lib with 55% marks) | One |
| (b) Lab Assistant (BCA with 55% marks) | One |
| (c) Office-cum-Account Assistant | One |
| (d) Office Assistant-cum Computer Operator | One |
| (e) Store-Keeper | One |
| (f) Technical Assistant | One |
| (g) Lab Attendants/Helpers/Support Staff | Two |

Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

Note: In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

5.4 Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. Facilities

6.1 Infrastructure

(i) The institutions shall possess 2500 sq mts (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields, etc. For an additional intake of fifty students, it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square metre). For an annual intake beyond two hundred and upto three hundred, it shall possess land of 3500 sqm. (three thousand five hundred square metre). For the institutions established prior to this Regulations, for an additional intake of one hundred students, built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square metre) and the requirement of additional land may not apply to them.

(ii) Built up Area for running other teacher education programmes in combination with B.Ed programme shall be as under:

(ii) Facilities

26910 sqm for 16145 sqm

Handwritten note: 26910 sqm

Course(s)	Built up Area (in sqm)	Land Area in (sqm)
B.Ed/Education Component of B.A. B.Ed./B.Sc.B.Ed.	1500	2500
D.E.C.Ed plus B.Ed	2500	3000
D.El.Ed plus B.Ed	3000	3000
B.Ed plus M.Ed	2000	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000	3500
D.El.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500	3500
D.El.Ed plus D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	4000	4000

stands - One Pair; High Jump Cross bars - Six; Shot-put for Men & Women - Two each; Discus for men & women - Two each; Hammers for men & women - Two each; Javelin for Men & Women - Six each; Vaulting box for jumping - Two; Relay Batons - Six; Mattress, Weight Training Set (Mats), Landing for High Jump.

(ii) Sports and Games

Badminton - Posts, Nets, Racket, Shuttle Cocks; Basketball - Stand and Board, Net, Balls; Cricket - Batting pad, Batting Gloves, Abdominal Guard, Helmet, Wicket Keeping Gloves, Wicket Keepers leg guard, Stumps, Bails, Balls, Tennis Balls, Football - Goal-post, Net, Balls (Mini size 4 No.), Posts with flags; Gymnastics - Vaulting Table / Horse (Men & Women), Parallel Bar (Men), Horizontal Bar (Men), Balance Beam (Adjustable), Balance Beam (Adjustable), Gymnastics Mattresses; Handball - Goal posts, Nets, Balls; Hockey - Goal posts, Net, Balls, Sticks, Goal-keeping kit; Kho-Kho - Poles, Lawn Tennis - Posts, Nets, Balls, Rackets; Table Tennis - Table, Rackets, Balls; Volleyball - Posts, Nets, Balls, Antenna; Weight Training - Rods, Weight Plates 2.5 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, Collars, Benches, Weight Stand, Weight Belts and Weight Jackets; One Multi-gym or separate station wise (at least ten station); Judo/Taekwondo/ Wrestling - Mats

(iii) Equipment for indigenous activities / mass demonstration

Leziiums, Dumbbells; Flags; Hoops; Wands; Balls; Umbrellas; Skipping Ropes; Music System; Music - CDs/ Cassettes; Material like scarf/drill, ribbon, placard etc. for mass display activities; Demonstration/ Display Equipment for martial arts.

6.4 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided.

6.5 Miscellaneous

Other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays, combative games and yoga.

6.6 Amenities

- (i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- (ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.
- (iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.
- (iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (v) Safe drinking water be provided in the institution.
- (vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

[Note: In case of composite institution, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared by various programmes.]

7. Managing Committee

The Institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University/Concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/ trust, physical educationists, representatives of the affiliating university and of the staff.

APPENDIX-7

Norms and standards for bachelor of physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Degree

1. Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is a professional programme meant for preparing teachers for physical education in classes VI-X and for conducting physical education and sports activities in classes XI-XII.

2. Duration and Working Days

2.1 Duration

4.3 Assessment

For each theory course, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment a. 70% to 80% for term-end examination conducted by the examining body, and one-fourth of the total marks shall be allocated to evaluating internship tasks including the assignments of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be fixed by the affiliating body. Candidates must be internally assessed on the entire practicum course and not only on the project/field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, diaries, reflective journals, etc.

5 Staff

5.1 Academic Faculty

(i) Number (for a basic unit of one hundred students):

1. Principal	One
2. Associate Professors	Two
3. Assistant Professors	Six
4. Assistant Professors	Three (Part Time) if needed
5. Sports Trainers	Three (Part Time)
6. Yoga Trainer	One (Part Time)
7. Dietician	One (Part Time)

(ii) For an additional intake of one hundred students, the number of full time teacher educators shall be increased by eight Lecturers/Assistant Professors in physical education.

(iii) Appointment of teachers in physical education shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all courses, subjects and activities related to physical education.

5.2. Qualifications

A. Principal/ Head

(i) Master's degree in Physical Education (M.P.Ed./M.P.E.) with 55% marks or its equivalent grade, i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.

(ii) Ph. D in the field of Physical Education.

(iii) Eight years teaching experience out of which five years experience in an institute / college/ department of physical education.

(iv) Any other stipulation prescribed by the UGC/affiliating body/State Govt. from time to time for the positions of principal shall be mandatory.

B. Associate Professor

(i) M.P.Ed. degree or its equivalent with at least 55% marks or its equivalent grade i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.

(ii) A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/ industry excluding the period of Ph.D. research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.

Note : Any other stipulation prescribed by UGC /Affiliating Body/ State Govt. from time to time for the position of Associate Professor shall be mandatory.

C. Assistant Professor

M.P.Ed. degree or its equivalent with 55% marks or its equivalent grade i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.

Note : Any other stipulation prescribed by UGC / Affiliating Body / State Govt. from time to time for the position of Assistant professor shall be mandatory.

D. Sports Trainers (Part Time)

Masters degree/Bachelors degree in physical education with specialization in at least one game/sport (as applicable) or Diploma/PG diploma in coaching in a sport (as applicable).

E. Yoga Trainer (Part Time)

PG Diploma in Yoga.

F. Dietician (Part Time)

Masters degree in nutrition or Bachelors degree in home science with diploma in nutrition and dietetics

5.3. Technical Support and Administrative Staff

1. Librarian	One
2. Physiotherapist	One
3. Grounds-men/ Markers/ Helpers	Two
4. Music Teacher/ Band Master	One (Part Time)
5. ICT Instructor	One (Part Time)
6. Technical Assistant	One (Part Time)
7. Accounts Assistant	One
8. Office Assistant	One
9. Storekeeper	One
10. Helpers/ Attendants	Two

Qualifications

As prescribed by concerned State Government, Affiliating University/ UGC.

[Note: In case of composite institution, the Principal, and academic, administrative and technical staff can be shared across programmes. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs]

5.4. Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. Facilities

6.1 Infrastructure

(i) There shall be provision for at least two class rooms, one multi-purpose hall, one seminar room / ten tutorial specialization class rooms, separate rooms for the Principal, faculty members, medical facility room, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, and libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq. ft. (ten square feet) per student. Multi-purpose Hall shall have the seating capacity for at least two hundred persons with total built up area inclusive of dias as 2000 sq. mts (two thousand square meters)

(ii) Built up Area for running other courses in combination with B.P.Ed programme shall be as under :

- Only B.P.Ed. - 1500 Sq.mts.
- B.P.Ed, plus M.P.Ed. - 2700 Sq.mts.
- B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed - 3900 Sq.mts.

Additional intake of one unit of B.P.Ed. will require additional built up area of 500 sqm. (five hundred square meter).

(iii) There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 meter athletic track (may be 200 meter in metro cities), gymnasium and a hall for indoor games and sports.

(iv) The institution campus, building, furniture etc. should be disabled friendly.

(v) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(vi) Separate hostels for boys and girls for outstation students.

6.2 Instructional

(i) The institution must have at least 5-8 acres of land with proper fencing which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games and sports. Built up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1500 sq.mtr. For additional unit, the built up area is to be increased by 3000 sq. ft. The maximum intake capacity of an institution shall remain three hundred students taking all physical education courses together. Physical education courses are not to be run with other teacher education courses. Five to Eight acres of land is sufficient for all physical education courses up to an intake capacity of three

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो0-मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र-उ0प्र0

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569

फैक्स नं0-(05446) 255777

पत्रिका-1 Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission given below

दिनांक.....

Date	Sanction Posts	Subject wise posts sanctioned
01-06-2004	07	HINDI-01 ENGLISH-01 SANSKRIT-01 SOCIOLOGY-01 ANCIENT HISTORY-01 GEOGRAPHY-01 HOME SCIENCE-01
01-07-2006	15+01	B.Ed- 2 UNITS
01-07-2006	07+01	B.P.Ed.- 1 UNITS
31-05-2014	03	B.Com.-03
29-02-2016	05	B.Sc. PHYSICS -01 CHEMISTRY-01 MATH-01 BOTANY-01 ZOOLOGY-01
30-05-2016	05	M.A. HINDI-01 SOCIOLOGY-02 HOME SCIENCE-02
14-09-2021	02	M.A. GEOGRAPHY-02
14-09-2021	04	B.A. ECONOMICS-01 EDUCATION-01 PHYSICAL EDUCATION-01 POLITICAL EDUCATION-01
14-09-2021	01	B.Sc. BIO TECHNOLOGY-01
TOTAL	51+01(Post for Principal)	

(Handwritten signature)

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर मुर्धवा (उ0प्र0)

सोनभद्र (उ0प्र0)

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो०-मुर्घवा (रेनुकूट) सोनभद्र-७०१००

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं०-(05446) 255777

पत्रांक.....

दिनांक.....

2.4.1 Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission (UGC) and appointed against sanction posts given below

Session	Sanction Post	Existing Staff	Sanction Post (Management)	Existing Staff	Total
2018-19	44	43	NIL	NIL	43
2019-20	44	39	NIL	NIL	39
2020-21	44	39	NIL	NIL	39
2021-22	51	31	NIL	NIL	31
2022-23	51	43	NIL	NIL	43

Holly Amb at this
प्रचारक
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्घवा (रेनुकूट)
सोनभद्र (उ० प्र०)

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो०-मुर्घवा (रेनुकूट) सोनमढ-उ०प्र०

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



राज्यात्मक संख्या-1482/2002-03

दूरभाष -- (05448) 256569
फैक्स नं०-(05448) 255777

पत्रांक.....

दिनांक.....

2.4.1 Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission (UGC) and appointed against sanction posts given below

Session	Total Sanction Post
2018-19	43
2019-20	39
2020-21	39
2021-22	31
2022-23	43

(Handwritten Signature)

प्राचार्य

बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर पृथ्वी (उ०प्र०)
सोनमढ उ० प्र०